



मूर्चना एवं जनसम्पर्क विभाग, विज्ञापन

प्रेस विज्ञापनि

संख्या—cm-250
05/06/2017

बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम सशक्त कानून के रूप में उभर रहा है :— मुख्यमंत्री

पटना, 05 जून 2017 :— मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लोगों को अपनी शिकायतों की सुनवाई और उसके निराकरण का एक ऐसा अवसर प्रदान करता है, जो अपने आप में यूनिक है। उन्होंने कहा कि जब लोगों की शिकायतें दूर होगी तो लोकतंत्र के प्रति आस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम सशक्त कानून के रूप में उभर रहा है और इसके क्रियान्वयन से लोगों के मन में संतोष का भाव पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आज बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन पटना द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के सफल एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर मौलाना मजहरुल हक ऑडिटोरियम पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 5 जून है, आज सम्पूर्ण क्रांति दिवस एवं विश्व पर्यावरण दिवस है। पिछले वर्ष इसी दिन लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया था। उन्होंने कहा कि 2015 में यह अधिनियम पारित हुआ था, उसके बाद विधानसभा चुनाव के कारण तथा इस अधिनियम को लागू करने के पूर्व राज्य, जिला, अनुमण्डल स्तर पर पदाधिकारियों के चयन, उनके लिये कार्यालय, कर्मियों का चयन तथा विभिन्न विभागों से जुड़े पदाधिकारियों को जागरूक करने, उन्हें संवेदनशील बनाने तथा उन्मुखीकरण इत्यादि कराने में इसे क्रियान्वित करने में समय लगा। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद 5 जून 2016 को सम्पूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर इस अधिनियम को लागू किया गया। उन्होंने कहा कि इसके अलावे 2011 में प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में लोक सेवा अधिकार कानून 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र सहित कई प्रकार की सेवायें लोगों को दी जाती हैं, इसके लिये लोगों को जिला, अनुमण्डल, प्रखण्ड, अंचल का चक्कर काटना पड़ता था। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट बनाने के लिये आचरण प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है और यह बड़ी संख्या में विभिन्न स्तरों पर लंबित रहता था। उन्होंने कहा कि 2010 में वे विश्वास यात्रा पर निकले और अनुभव किया कि इस मामले में लोगों के लिये ठोस कदम उठाना चाहिये और लोगों को इसका कानूनी अधिकार देना चाहिये। उन्होंने कहा कि नवम्बर 2011 में जब सेवा यात्रा पर निकले तो लोक सेवा अधिकार कानून के काउंटरों का निरीक्षण किया और दी जा रही सुविधाओं में व्यापक सुधार कराया। राज्य के सभी जिलाधिकारियों से लोक सेवा अधिकार कानून के काउंटरों की औचक छापेमारी करायी गयी और इन सबके कारण दलाली का धंधा भी पूरी तरह बंद हो गया। अब लोगों को लोक सेवा अधिकार कानून के अन्तर्गत प्राप्त सेवाओं से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2011 से आज तक लोक

सेवा अधिकार कानून के अन्तर्गत 53 प्रकार की प्रदान होने वाली 15 करोड़ 35 लाख सेवायें लोगों को प्रदान की गयी है। लोक सेवा अधिकार कानून के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं में अब भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं बची है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 2006 से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम शुरू किया। जब हमने शुरू किया तो राज्य से लेकर थाना स्तर तक के सभी अधिकारियों को जनता के दरबार में शामिल होने के लिये दिन निर्धारित किये गये। हर सोमवार को हम जनता के दरबार में उपस्थित होते थे। लगभग आठ—नौ साल इस कार्यक्रम को लगातार किया और महसूस किया कि लोगों के शिकायतों का कुछ हद तक तो समाधान हो रहा है लेकिन शिकायत के निवारण की गारंटी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमने लोगों की शिकायतों का अध्ययन भी कराया और हमने देखा कि इतनी मेहनत के बाद भी 40 से 45 प्रतिशत से ज्यादा समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, तब हमने सोचा कि इसको कानूनी अधिकार दिया जाना चाहिये और अंततः 5 जून 2016 से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित कर लोगों को अपनी शिकायतों के निवारण का कानूनी अधिकार दिया गया। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में एक वर्ष में एक लाख 66 हजार शिकायतें आयी हैं और एक लाख 42 हजार शिकायतों का निष्पादन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि निश्चय यात्रा में अनेक जगहों पर गये। भूमि विवाद, जमीन का रसीद, बिजली बिल का मामला देखा। गलत बिजली बिल के कारण लोग परेशान थे, इसका समाधान होने लगा। लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के कारण 28 हजार रूपये का बिल आठ सौ रूपये में तब्दील हो गया। 36 साल पहले की जमीन का रसीद कटने लगा। स्वीकृत सड़क जो किसी कारण से नहीं बन रही थी, उसका निर्माण होने लगा तो लोगों के मन में संतोष का भाव पैदा हुआ।

मुख्यमंत्री ने उपस्थित विभिन्न स्तरों के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों से कहा कि इसके क्रियान्वयन में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की भूमिका के साथ—साथ आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री ने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के माध्यम से विभिन्न स्तरों के लोक शिकायत निवारण के पहलुओं को सघन अनुश्रवण करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के पश्चात एक वर्ष में जितनी समस्याओं का निराकरण हुआ, उतना दस साल में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण कानून और लोक सेवा अधिकार कानून मामूली चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने दस साल लगातार जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भाग लिया। कुछ लोग शुरू करते हैं और भूल जाते हैं। हमने इसे लॉजिकल इण्ड तक पहुँचाया। लोक शिकायत निवारण कानून के माध्यम से अनुमण्डल, जिला एवं विभागीय स्तर तक कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब हमने लोक सेवा का अधिकार कानून लागू किया था तो कई राज्यों के अधिकारी इस प्रक्रिया को देखने आये। कर्नाटक के एक मंत्री तक आकर इसका अध्ययन किये और कई राज्यों ने अनुकरण भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ओरिएंटेड होकर कार्य कर रहे हैं, इसके लिये उन्होंने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को बधाई दी और कहा कि उत्कृष्ट तरीके से अपना टर्म पूरा करने वाले लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को च्वाइश पोस्टिंग दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वरीय पदाधिकारी यह ध्यान रखें कि लोक शिकायत निवारण कानून में लोगों को अपील में न जाना पड़े और इस दिशा में वे काम करें। उन्होंने मुख्य सचिव और प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन को निर्देश

दिया कि प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील का ससमय निवारण हो और इसका सघन अनुश्रवण हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम सशक्त कानून के रूप में धीरे-धीरे उभर रहा है। उन्होंने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों से कहा कि आप जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, वही इसके प्रचार का माध्यम है। लोग इसका लाभ उठायेंगे, जब आप लोगों की शिकायतों का बेहतर निवारण करेंगे। उन्होंने कहा कि आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। सुशासन के क्षेत्र में यह ठोस कदम है और कूनन की उपलब्धियों की चर्चा लोग खुद करेंगे। उन्होंने कहा कि जब लोगों के मन में संतोष का भाव पैदा होगा तो लोकतत्र मजबूत होगा।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह ने भी समारोह को संबोधित किया।

इसके पूर्व प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग सह मिशन निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी श्री डी०एस० गंगवार द्वारा स्वागत भाषण, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की उपलब्धियों तथा विशिष्ट मुद्दों एवं नई कार्ययोजना के संबंध में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के सफल मामलों (Success Stories) के संकलन तथा एक वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका 'समाधान' का विमोचन भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से संबंधित मोबाइल एप्प एवं नये परिवर्द्धित सॉफ्टवेयर का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री के समक्ष लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के सफल प्रयोग एवं इसके क्रियान्वयन पर आधारित लघु फ़िल्म का प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के तीन लोक शिकायत निवारण अधिकारियों को प्रतीक चिह्न एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रतीक चिह्न भेंट किया।

इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण एवं विधि मंत्री श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, खान एवं भूतत्व मंत्री श्री मुनेश्वर चौधरी, पंचायती राज मंत्री श्री कपिलदेव कामत, विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा, पुलिस महानिदेशक श्री पी०के० ठाकुर, प्रधान सचिव गृह श्री आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव वित श्री रवि मितल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला एवं अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के पदाधिकारी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
